भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या : \*6

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**सम विश्वविद्यालयों की अवसंरचना**

**\*6. श्री मोहम्मद अदीबः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि चवालीस सम विश्वविद्यालयों में से सात विश्वविद्यालयों में अवसंरचना का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अवसंरचना संबंधी मानदंड क्या-क्या हैं; और

(घ) उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है, जहां अवसंरचना का अभाव है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**सम विश्वविद्यालयों की अवसंरचना के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री मोहम्मद अदीब द्वारा दिनांक 24.11.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 6 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

**(क) और (ख) :** विप्‍लव शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्‍य के मामले (रिट याचिका (सी) सं. 142 वर्ष 2006) में दिनांक 26 सितंबर, 2014 को हुई पिछली सुनवाई में, माननीय भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय ने 12 सप्‍ताह के भीतर सात सम विश्‍वविद्यालयों का वास्‍तविक निरीक्षण करने का निदेश दिया है।

 तदनुसार, यूजीसी ने इन सदस्‍यों अर्थात् (i) प्रो. डा. जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी (अध्‍यक्ष), (ii) श्री एस.पी. गोयल, संयुक्‍त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सदस्‍य), (iii) प्रो. डॉ. ओ.पी. कालरा, प्राचार्य, विश्‍वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज, दिल्‍ली (सदस्‍य), (iv) प्रो. डॉ. एम.पी. पूनिया, प्राचार्य, राष्‍ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्‍थान, चंडीगढ़ (सदस्‍य), (v) प्रो. रमेश दधीच, सदस्‍य-सचिव, आईसीएसएसआर, नई दिल्‍ली (सदस्‍य), और (vi) उप सचिव (सम विश्‍वविद्यालय) यूजीसी, नई दिल्‍ली (समन्‍वय अधिकारी) को शामिल करते हुए निर्धारित समय सीमा में इन सात सम विश्‍वविद्यालयों का वास्‍तविक निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

 इन सात सम विश्‍वविद्यालयों का निरीक्षण इस समय चल रहा है। इन विश्‍वविद्यालयों में अवसंरचना के बारे में कोई टिप्‍पणी यूजीसी से उक्‍त समिति की रिपोर्ट प्राप्‍त होने के बाद ही की जा सकती है।

**(ग) :** यूजीसी (सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं) विनियम, 2010 के अंतर्गत अवसरंचना की आवश्‍यकता इस प्रकार है:-

1. इसके पास सम विश्‍वविद्यालय संस्‍था के रूप में संस्‍था को चलाने और बनाए रखने के लिए आवश्‍यक वित्‍तीय एवं अवसंरचनात्‍मक अंकुरणक्षमता होगी और इसका प्रंबधन विश्‍वविद्यालय के आदर्शों तथा परंपराओं में योगदान देने और शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्‍तार कार्यकलापों को बढ़ाने में सक्षम होगा।

2. भूमि तथा भवन : यदि यह महानगर क्षेत्र में अवस्थित है तो इसके मुख्‍य परिसर के लिए कम से कम पांच एकड़ भूमि, यदि ये गैर-महानगर शहरी क्षेत्र में स्थित है तो मुख्‍य परिसर हेतु सात एकड़ भूमि अथवा, यदि ये गैर-शहरी क्षेत्रों में है तो मुख्‍य परिसर हेतु दस एकड़ भूमि या संबंधित सांविधिक/नियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक हो, आवश्‍यक है। बहु-विषयक संस्‍था के मामले में कुल भूमि की आवश्‍यकता विभिन्‍न सांविधिक परिषदों द्वारा सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्र का जोड़ होगा।

3. कम से कम 1,000 वर्ग मीटर का प्रशासनिक भवन

4. कम से कम 10,000 वर्ग मीटर का पुस्‍तकालय, लेक्‍चर थिएटर एवं प्रयोगशालाओं सहित अकादमिक भवन, जिसमें केन्‍द्रीय पुस्‍तकालय अकेला ही लगभग 2,000 वर्ग मीटर का होगा।

5. सम विश्‍वविद्यालय संस्‍था के रूप में घोषित करने हेतु आवेदन करते समय संस्‍था के पास शिक्षकों के लिए कुछ अवासीय भवन, अतिथि गृह तथा छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं, अस्तित्‍व में होनी चाहिए। सम विश्‍वविद्यालय संस्‍था के अस्तित्‍व के 3 वर्षों के भीतर छात्रावास आवास को धीरे-धीरे छात्रों की कम से कम 25% संख्‍या तक बढ़ाया जाएगा।

6. संस्‍था के व्‍यावसायिक अध्‍ययन कार्यक्रम प्रदान करने के मामले में, उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त संबंधित सांविधिक निकाय के विद्यमान मानदंड तथा मानक लागू होंगे।

7. उपकरण, पुस्‍तकें, पत्रिकाएं और अन्‍य अवसंरचनात्‍मक सुविधाएं: संस्‍था के उपकरण, पुस्‍तकें और पत्रिकाएं, उस संस्‍थान के आकार एवं कार्यकलापों के अनुरूप होगा तथा संबंधित सांविधिक/नियामक निकाय की अपेक्षाओं के अनुसार होगा। संस्‍था के पास स्‍व:अध्‍यनन/वर्चुअल प्रयोगों/ तकनीकी अपेक्षाओं के लिए आवश्‍यकता को पूरा करने हेतु समुचित स्‍तर की ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के साथ-साथ पत्रिकाओं, पुस्‍तकों तथा अन्‍य अधिगम सामग्रियों के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक पहुंच की सुविधा भी होनी चाहिए।

**(घ) :** यह माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा यथानिर्देशित रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के बाद ही माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निदेशों पर कोई अगामी कार्रवाई संभव होगी।

\*\*\*\*\*